

विक्रय मूल्य :00,000/- रु0
 मालियत :000/- रु0
 स्टाम्प :00/- रु0
 दर प्रति वर्गमीटर : ,000/-
 विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है।
 मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र

लेखपत्र का विवरण-विक्रय पत्र

- 1- सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय प्लॉट
- 2- ग्राम :
- 3- वार्ड/परगना : मोहनलालगंज
- 4- सम्पत्ति का विवरण : गांव संख्या हे0 में से
 भूखण्ड सं0 पैमाईशी क्षेत्रफल .
 वर्गफिट अर्थात
 दशमलव} वर्गमीटर
 विक्रय किया गया।
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल : वर्गमीटर
- 6- राष्ट्रीय मार्ग से दूरी : ... कि0मी0 व रेलवे स्टेशन से ...
 कि0मी0
- 7- प्रतिफल की धनराशि : ,00,000/- { रुपये } भुगतान का
 विवरण आगे दिया गया है।

प्लॉट की चौहद्दी

पूरब :
 पश्चिम :
 उत्तर :
 दक्षिण :

प्रथमपक्ष की संख्या-1 विक्रेता	द्वितीयपक्ष की संख्या-1 क्रेता
मो0नं0	मो0नं0
PAN NO.	PAN NO.

जो कि आवासीय भूमि/प्लॉट खसरा संख्या-रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम
 परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की है, जिसका प्रथमपक्ष/विक्रेता मालिक
 काबिज है। भूमि पर पेड़ बोरिंग इमारत आदि नहीं है विक्रय शुदा आराजी लखनऊ विकास
 प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की किसी भी योजना में
 अधिगृहित नहीं है तथा न ही अधिगृहण हेतु प्रस्तावित है। जो आज तक हर प्रकार के
 विवादों, भारों, रेहन, बन्धक, इकरार, कुर्की, जमानत हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक
 साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्रथमपक्ष/विक्रेता को प्राप्त है।
 अतः प्रथमपक्ष/विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत
 होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि/प्लॉट को बिलएवज मुबलिग- ,00,000/- { रुपये } में
 द्वितीयपक्ष/क्रेता के हक में विक्रय कर सम्पूर्ण धन प्राप्त कर कब्जा व दखल मालिकाना
 अपने समान क्रेता को करा दिया। आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी
 वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि/प्लॉट या उसके
 विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में नहीं रहा तथा द्वितीयपक्ष/क्रेता से अपना हक जतावे या दावा करे
 तो दावा उसका इस बयाना के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा, और अगर किसी
 व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि/प्लॉट का कुल या जुज भाग
 द्वितीयपक्ष/क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न मिले,
 मिलिकयत या हकीयत प्रथमपक्ष/विक्रेता की करार न पायी जाये या अन्य किसी प्रकार से
 उपरोक्त भूमि/प्लॉट के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में
 द्वितीयपक्ष/क्रेता उपरोक्त का हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया
 मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित प्रथमपक्ष/विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम की

अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, प्रथमपक्ष/विक्रेता उपरोक्त को कोई मुकाम उज्र का न होगा, अब आज की तारीख से द्वितीयपक्ष/क्रेता को अधिकार होगा कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये प्रथमपक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण	दर प्रति वर्गमीटर	मूल्यांकन
गांव संख्या हे० मे से भूखण्ड सं० पैमाईशी क्षेत्रफल वर्गफिट अर्थात् { दशमलव } वर्गमीटर विक्रय किया गया।		,000/-

- (1) चूंकि विक्रीत भूमि की मालियत, विक्रय मूल्य से अधिक है, इसलिए नियमानुसार अधिकतम मालियत पर स्टैम्प शुल्क निश्चित दर से दिया गया है।
- (2) विक्रय की गई भूमि मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है। राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग के किनारे नहीं है।
- (3) विक्रय किया गया प्लॉट विक्रेता की क्रय शुदा सम्पत्ति है। जो उपनिबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के यहां दिनांक को बही संख्या, जिल्द संख्या- पृष्ठ संख्या से क्रमांक पर पंजीकृत है। जिसे विक्रेता ने से क्रय किया है।
- (4) पक्षकार से पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाख्त पर प्रमाणित है।
- (5) पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय पत्र तैयार किया गया किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है।

भुगतान का विवरण

भुगतान का प्रकार	धनराशि	दिनांक	बैंक का नाम

अतएव यह विक्रय पत्र अपनी स्वस्थ दशा में बिना किसी दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक:

गवाहान :-

{1} विक्रेता

मो० नं०

{2} क्रेता

मो० नं०

टाईपकर्ता मसविदाकर्ता

(विजय कुमार)

(.....)

तह० मोहनलालगंज, लखनऊ।

एडवोकेट